राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

कमांक–प. 5(31) साप्र/3/82 जयपुर, दिनांक 14 AUG 2013

–:आज्ञा:–

विषय:– राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक + मोबाइल + इन्टरनेट + ब्राडबैण्ड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।

राजकीय अधिकारीगण के निवास पर राजकीय टेलीफोन/मोबाइल सुविधा/ इन्टरनेट/ ब्राडबैण्ड उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.07.2013 के अधिक्रमण में राजकीय अधिकारीगण को निवास पर टेलीफोन सुविधा (बेसिक+मोबाइल+ इन्टरनेट+ब्राडबैण्ड) संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार निर्धारित सीमा तक व्यय करने एवं वास्तविक व्यय का भुगतान/पुर्नभरण प्राप्त करने की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

1. प्रस्तावित मासिक वित्तीय सीमा में स्थानीय कॉल्स/एस.टी.डी./मोबाइल फोन काल्स/इन्टरनेट/ब्राडबैण्ड सुविधायें सम्मिलित होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को स्वयं के नाम से मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन ही लेना होगा।

2. अधिकारी स्वीकृत वित्तीय सीमा तक एक मोबाईल फोन एवं एक लैण्ड लाईन तथा टेलीफोनिक इन्टरनेट सुविधा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी टेरिफ प्लॉन के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे। इण्टरनेट/ब्राड–बैण्ड, लैण्ड लाईन के साथ अथवा ब्राड–बैण्ड कार्ड के माध्यम से भी ली जा सकती है। सिर्फ ब्राड बैण्ड/इण्टरनेट के लिए भी पृथक टेलीफोन लिया जा सकता है। अधिकारीगण को मोबाइल फोन/ब्राडबैण्ड/इन्टरनेट कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा मोबाइल फोन नही लेने पर रु 750/– प्रतिमाह व ब्राड बैण्ड नही लेने पर रु 750/– प्रतिमाह अनुज्ञेय सीमा में से स्वतः कम होकर शेष राशि ही देय होगी। यानि कोई अधिकारी यदि ब्राड बैण्ड इन्टरनेट/मोबाइल का उपयोग नही करता है तो इसके पेटे रु 1500/– प्रतिमाह वित्तीय सीमा में से स्वतः कम हो जायेंगे।

3. एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय को पूर्व महिनों के कम व्यय से बची राशि से समायोजन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय हो तो उसका भुगतान इस शर्त के साथ कर दिया जायेगा कि अधिक व्यय की राशि का प्रथमतः समायोजन आगामी माहों में होने वाली बचत से किया जायेगा।

4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक इन सुविधाओं के बिल भुगतान किये जायेंगे। निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर अधिक राशि संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

5. अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टेलीफोनिक सर्विस के बिल का भुगतान करने के उपरान्त निर्धारित वित्तीय सीमा तक की राशि का पुर्नभरण मूल बिल एवं भुगतान की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार से प्राप्त किया जा सकेगा।

6. सभी अधिकारी बिल का सत्यापन स्वयं करेंगे। बिल के प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणित लिखा जाना पर्याप्त होगा। निजी सचिव/निजी सहायक द्वारा सत्यापित बिल मान्य नही होगा।

7. राज्य सरकार के द्वारा मोबाईल हैण्ड सेट/टेलीफोन यंत्र/मोडम उपलब्ध नही करवाया जावेगा तथा न ही इनके क्रय पर किये व्यय का पुर्नभरण होगा।

(लगातार–- 2 -)

8. प्रत्येक अधिकारी हेतु श्रेणीवार जो मासिक वित्तीय सीमा अनुज्ञेय है इस वित्तीय सीमा में सरचार्ज राशि सम्मिलित है टेलीफोन/मोबाइल बिलों का भुगतान हमेशा यथासमय हो इसे सुनिश्चित कर लिया जाये। लेकिन अधिकारी के द्वारा विलम्ब करने से कनेक्शन का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है जो रिकनेक्शन चार्जेज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा देय नही होगा।

9. राज्य सेवा में पति/पत्नि के होने की स्थिति में दोनो उक्त सुविधा का पृथक पृथक उपयोग कर सकेंगे।

10. जिन अधिकारियों के निवास पर स्वयं/स्पाउस के नाम से टेलीफोन स्थापित हैं, उन्हें सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त करने पर भुगतान/पुनर्भरण देय होगा।

11. अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने पर बकाया अनुज्ञेय सीमा राशि समाप्त मानी जायेगी। यह सुविधा उन्ही अधिकृत अधिकारियों को देय होगी जिनके लिये स्वीकृति सक्षम स्तर पर पूर्व में प्राप्त है।

12. राजकीय अधिकारियों को एक माह से छः माह अवकाश पर रहने की स्थिति में बेसिक टेलीफोन का केवल रेन्ट/मोबाइल व इन्टरनेट (ब्रॉडबैण्ड) का प्लान चार्जेज का भुगतान देय होगा तथा छः माह पश्चात बेसिक टेलीफोन/मोबाईल व इन्टरनेट (ब्रॉडबैण्ड) के बिल की राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निजी तौर पर वहन किया जायेगा।

13. कोई अधिकारी अगर पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रहता है अथवा निलम्बित रहता है तो उसे कोई टेलीफोन की सुविधा देय नही होगी।

14. उक्त आदेश में वर्णित वर्गीकृत श्रेणी अनुसार वित्तीय सीमा मोबाइल ब्राडबैण्ड/इण्टरनेट के लिये तभी अनुज्ञेय होगी जबकि उस पद हेतु बेसिक टेलीफोन स्वीकृत है।

15. किसी भी निजी टेलीफोन का सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना सीधे भुगतान नही होगा आहरण व वितरण अधिकारी ऐसे टेलीफोन बिल भुगतान करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेंगे।

16. मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण एवं सुपरटाईम स्केल के सचिवगण को आईपैड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की तिथि से आईपैड में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु एक अतिरिक्त पोस्टपेड सिम का उपयोग निर्धारित मासिक सीमा के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा।

17. अधिकारियों को तय वित्तीय सीमा के अंतर्गत रोमिंग (नेशनल), एसटीडी प्लान, वैल्यू एडेड सर्विसेज, एसएमएस, लेट फीस, आदि सभी चार्जेज अनुज्ञेय होंगे।

उक्त वृद्धि/संशोधन दिनांक 01.05.2013 से लागू होगी।

यह आज्ञा पूर्व में प्रसारित इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.07.13 के अधिक्रमण में वित्त विभाग की आई.डी.सं0 101301929 दिनांक 07.05.13, आईडी सं. 131300349 दिनांक 17.07.13 एवं आईडी सं. 161301146 दिनांक 30.07.13 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रमुख शासन सचिव

(लगातार-- 3 -)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल/
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव/अति. निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
6. उप सचिव, (निजी सचिव), मुख्य सचिव।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
10. अध्यक्ष, राज. राज्य पिछडा वर्ग आयोग, जयपुर।
11. समस्त शासन उप सचिवगण/समकक्ष अधिकारीगण
12. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाइल+इण्टरनेट+ब्राडबैण्ड/आईपैड/डाटा कार्ड) के बिल भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि बिल की राशि सम्बन्धित अधिकारी को देय मासिक/वार्षिक अनुज्ञेय सीमा में ही है। बिन्दू संख्या 5 के अनुक्रम में सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त टेलीफोन/मोबाइल बिलों का भुगतान/पुर्नभरण बिल प्रस्तुत करने पर सीधे ही लेखाशाखा द्वारा किया जावेगा।
13. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि बिल पारित करने के पूर्व शर्त नं. 1 व 2 की पालना सुनिश्चित कर ली जाये।
14. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।,
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
7. सचिव कर बोर्ड, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट–1
प. 5(31)साप्र/3/82
दिनांक :– 14 AUG 2013

Lump-sum financial entitlement for bundled services (Mobile, Landline, broadband /Internet at residence)		
S. No.	Officers	Entitlement in Rupees (`) for each month
1.	⇒ Chief Secretary ⇒ Director General of Police ⇒ Addl. Director General Police (Intelligence) ⇒ OSD to CM	Unlimited
2.	⇒ All Addl. Chief Secretaries ⇒ Additional Chief Secretary/Principal Secretary Finance ⇒ Additional Chief Secretary/Principal Secretary Home & GAD ⇒ Chairman, Board of Revenue, Ajmer ⇒ Chairman, RPSC, Ajmer ⇒ DG, Anti corruption Bureau ⇒ Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Governor ⇒ Principal R.C. New Delhi ⇒ Principal Secretary/Secretary to CM ⇒ Addl. Director General ATS ⇒ Press Advisor to CM	9750/-
3.	⇒ RC & ARC New Delhi ⇒ Addl. Director General CID (CB) ⇒ Spl. Secretary to CM ⇒ Dy. Secretaries to CM ⇒ Press Attache to CM ⇒ Deputy Chief of Protocol, GAD	6750/-
4.	⇒ Chairman, Raj. State Backward Classes Commission ⇒ D.G. Jail ⇒ D.G. Civil Defence and Home guard ⇒ Principal Secretary/Secretary DOP ⇒ Commissioner Excise ⇒ Commissioner, Commercial Taxes ⇒ Addl. D.G. Police (Admn.) ⇒ Addl. D.G. Police, Crime ⇒ Addl. Director General Anti Corruption Bureau ⇒ IG., CID Intelligence ⇒ Inspector General (Law & Order) ⇒ All Divisional Commissioners ⇒ Member, Raj. State Backward Classes Commission ⇒ All Member, Board of Revenue, Ajmer ⇒ Member, RPSC, Ajmer ⇒ Principal Chief Conservator of Forests ⇒ All District Collectors ⇒ All IG's Range Police	5250/-

परिशिष्ट–1
प. 5(31)साप्र/3/82
दिनांक :– 14 AUG 2013

	⇒ All DIG's Police Range ⇒ IG, ATS ⇒ All District Police Superintendents ⇒ All other Addl. DG other than included category 1&2 ⇒ I.G.P. (Law & Order) ⇒ I.G.P. CID (Inta.) ⇒ Dy. Director to CM	
5.	⇒ Advocate General Rajasthan High Court ⇒ Chairman, Rajasthan State Civil Services, Appellate Tribunal, Jaipur ⇒ Chairman, Tax Board, Ajmer ⇒ All Principal Secretaries/Secretaries (other than included in category 2&4) ⇒ Commissioner Transport ⇒ Commissioner, BIP ⇒ Commissioner, State Insurance & PF ⇒ Commissioner, Industries ⇒ Commissioner, College Education ⇒ Commissioner, Primary Education ⇒ Commissioner, land Settlement ⇒ Commissioner, Labour ⇒ Commissioner, Social Justice & Empowerment ⇒ Commissioner, Agriculture ⇒ Commissioner, Mid-Day Meal ⇒ Commissioner, TAD ⇒ Commissioner, Devasthan ⇒ Commissioner, Employment Guarantee Scheme ⇒ Member, Rajasthan State Civil Services, Appellate Tribunal, Jaipur ⇒ Member Tax Board, Ajmer ⇒ Addl. Principal Chief Conservator of Forest ⇒ Registrar, Cooperative Department	5250/- PM
6.	⇒ Chief Conservator of Forest ⇒ I.G. (Regi. & Stamp) Ajmer ⇒ All IGP other than included in Serial No. 4 ⇒ I.G. Anti Corruption Bureau ⇒ DIG, ATS, Jaipur ⇒ Police Superintendent, S.O.G ⇒ All Special Secretaries ⇒ Commissioners/Director, DIPR ⇒ Commissioner Command Area Development, Bikaner ⇒ Member Secretary, Raj. State Economic Backward Classes commission ⇒ Member Secretary State backward Classes ⇒ Registrar, Board of Revenue, Ajmer ⇒ All Joint Secretary, in Government Secretariat.	3750/- PM

परिशिष्ट–1
प. 5(31)साप्र/3/82
दिनांक :– 14 AUG 2013

	⇒ Joint Secretary/Dy. Secretary (A) GAD ⇒ Controller, State Motor Garage, Jaipur ⇒ All HOD's [Other than mentioned above]	
7.	⇒ Conservator of Forest ⇒ All DIG other than all range Dy. IGP ⇒ DIG (ACB) ⇒ All S.P. [Other than Distt. S.P.] ⇒ Special/Addl./Asstt. IG's ⇒ All Dy. Secretaries to Govt. ⇒ All Addl. Collectors. ⇒ Private Secretary to CM & Chief Secretary ⇒ Special Assistant to all Ministers/State Ministers/ Parliament Secretaries ⇒ Private Secretary to all Ministers/State Ministers/ Parliament Secretaries (where the post of Special Asstt. does not exist) ⇒ OSD, Parliamentary Affairs Department. ⇒ Protocol Officer, GAD ⇒ Chief Pilot, Air Craft/Helicopter ⇒ Asstt. Secy. Cabinet ⇒ Asstt. Secy, Security, Secretariat ⇒ Registrar Secretariat ⇒ Programmer, CM office ⇒ PRO, Mumbai ⇒ S.O. Cabinet ⇒ ASP/Dy. SP (Intelligence Cell) Excise, Director, EC.. Cell, Zonal Parties of Addl. SP, Police Station Check Post , Flying Squads ⇒ All other officers (other than Judicial Officers/Judges, and mentioned at category 1 to 6 above) who have been sanctioned Telephone facility at residence.	2625/-PM